

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1719
जिसका उत्तर 29 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

.....

महादेयी और मालाप्रभा नदियों को जोड़ना

1719. श्री प्रज्ज्वल रेवन्ना:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार की ओर से महादेयी और मालाप्रभा नदी घाटियों को जोड़ने तथा जल बंटवारे को लेकर गोवा और कर्नाटक के बीच के विवाद को करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या गोवा और कर्नाटक के बीच महादेयी नदी विवाद के समाधान के लिए न्यायालय से बाहर/अधिकरण द्वारा किसी समझौते की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या केन्द्र सरकार महादेयी नदी को मालाप्रभा नदी घाटी से जोड़ने की योजना बना रही है क्योंकि महादेयी नदी का अतिरिक्त पानी समुद्र में बह जाता है जबकि कर्नाटक के धारवाड़, गडग, बागलकोट जिलों में पानी की भारी किल्लत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री (श्री प्र सिंह पटे)

() () : केंद्र सरकार को महादेयी और मालाप्रभा नदी बेसिनों को आपस में जोड़ने का कोई प्रस्ताव कर्नाटक सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के बीच महादेयी नदी संबंधी जल विवाद के अधिनिर्णय के लिए गोवा सरकार ने अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (इंटर स्टेट रीवर वाटर डिस्प्यूट्स) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत जुलाई, 2002 में केंद्र सरकार से अनुरोध किया था। अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर बातचीत के माध्यम से मामले के समाधान के लिए प्रयास किए गए थे। हालांकि, बातचीत के माध्यम से मामले का समाधान नहीं हो सका।

इसके उपरांत, केंद्र सरकार ने नवंबर, 2010 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (इंटर स्टेट रीवर वाटर डिस्प्यूट्स) अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अंतर्गत महादेयी जल विवाद अधिकरण (महादेयी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल) का गठन किया था जिससे कि गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के बीच विवाद का अधिनिर्णय हो सके।

अधिकरण ने 14.08.2018 को अधिनियम की धारा 5(2) के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। इसके बाद, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों और केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 5(3) के अंतर्गत अधिकरण के सम्मुख और संदर्भ दायर किए थे।

महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा राज्यों ने अधिकरण की 14.08.2018 की रिपोर्ट के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयाधीन है। कर्नाटक सरकार द्वारा एसएलपी नं. 33018/2018 में दायर अंतर्वादीय आवेदन (इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन) संख्या 109720/2019 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 20.02.2020 के आदेश के अनुसार केंद्र सरकार ने अधिकरण की रिपोर्ट दिनांक 14.08.2018 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना दिनांक 27.02.2020 के तहत प्रकाशित किया है जो एसएलपी के परिणामों के अध्याधीन होगी।

() : जी, नहीं। मौजूदा समय में ऐसी कोई योजना केंद्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।
